



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243762
CG-DL-E-21022023-243762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]
No. 91]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 113(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) संशोधन भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2022 में, कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने अनुसूची में:-

(i) स्तंभ (6) में, प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण 1 : ऊपरी आयु-सीमा भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी”;

“टिप्पण 2 : ऊपरी आयु-सीमा भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी”;

(ii) स्तंभ (7) में, खंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण : भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी”;

(iii) स्तंभ (10) में, खंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण: रिक्तियों का दस प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाएगा।”

[फा. सं. I-12022/10/2021-संगठन]

पी. एस. डंगवाल, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि.सं. 847(अ) तारीख 25 नवंबर 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2023

G.S.R. 113(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2022 namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group ‘C’ Posts) Recruitment Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2022, in the Schedule to against serial number 3 relating to the post of Constable (General Duty):-

(i) in Column (6),- after the entries, the following Note shall be inserted, namely:-

“**Note 1:** The upper age-limit shall be relaxable upto five years for the candidates of the first batch of Ex-Agniveers”;

“**Note 2:** The upper age-limit shall be relaxable upto three years for the candidates of Ex-Agniveers.”;

(ii) in Column (7),- after clause (ii), the following Note shall be inserted, namely:-

“**Note :** Ex-Agniveers shall be exempted from Physical Efficiency Test ”;

(iii) in Column (10), after clause (ii), the following Note shall be inserted, namely:-

“**Note:** - Ten per cent of the vacancies shall be reserved for Ex-Agniveers.”.

[F. No. I-12022/10/2021-Org]

P. S. DANGWAL, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. No. 847(E), dated 25th November 2022.